कार्यालय लोकपाल ;मनरेगा

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

मनरेगा शिकायत वाद संख्या–66 , 68, 69, 70, 71, 72, 73/2015–16 श्री ध्रुप राम एवं अन्य बनाम पंचायत रोजगार सेवक, चम्पापुर और कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ़वा।

वाद का वर्णन

परिवादीगण श्री ध्रुप राम, जनकीया देवी, मनीष राम, छठिया देवी, रुकमिनी देवी, सुखल राम, मिश्री राम द्वारा आवेदन दिया गया कि वनपोषक के रुप मनरेगा में कार्य किया गया है, लेकिन अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। अतः मजदूरी की राशि दिलाने का अनुरोध किया गया है।

कार्रवाई/अनुपालन

अतः आवेदन के आलोक में वाद दर्ज कर पं0रो0से0, चम्पापुर मुखिया और कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ़वा को नोटिस जारी किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी, रामगढ़वा ने अपने पत्रांक–54 दिनांक–20.12.2016 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	परिवादी का नाम	जॉब कार्ड	बकाया मजदूरी की राशि (2011–12)
1	ध्रुप राम	2914	14400.00
2	जनकीया देवी	2014	10368.00
3	मनीष राम	2093	12384.00
4	छठीया देवी	2139	9504.00
5	रुकमिनी देवी	2140	9504.00
6	सुखल राम	2134	9504.00
7	मिश्री राम	403	10368.00

उपरोक्त परिवादीगण द्वारा वृक्षारोपण कार्य में वनपोषक के रुप में कार्य किया है जिसकी मजुदरी का भुगतान फंड के अभाव में लंबित रहा है। MIS खुलने के उपरांत उक्त मजदूरों का मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा।

विचारणीय बिन्दु

1.क्या परिवादीगण द्वारा मनरेगा योजनाओं में कार्य किया गया है ?

2.क्या सही समय पर मजदूरी का भुगतान किया गया है अथवा नहीं ?

निष्कर्ष/निर्णय

अतः उपलब्ध साक्ष्यों और पं0रो0से0, चम्पापुर एवं कार्य0पदा0, रामगढ़वा के विस्तृत जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि परिवादीगण द्वारा मनरेगा में वनपोषक के रुप में काम किया गया है तथा परिवादीगण को ससमय मजदुरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मनरेगा एक्ट के तहत 15 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान होना है जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः लंबित मजदूरी की मूल राशि का भुगतान परिवादीगण को तत्काल करने का निर्णय दिया जाता है साथ ही विभागीय नियमानुसार मजदूरी भुगतान में हुई विलंब के कारण क्षतिपूर्ति की राशि विभागीय पत्रांक–189382 दिनांक–24.06.2014 के अनुसार 0.05 प्रतिशत की दर से गणना कर क्षतिपूर्ति का भुगतान तत्कालीन पं0रो0से0, चम्पापुर और तत्कालीन कार्य0 पदा0, रामगढ़वा से बराबर–बराबर से वसूली की जाय तथा देय क्षतिपूर्ति का भुगतान MIS में दर्ज किया जाय।

31/1/17

लोकपाल(मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–25 / दिनांक–31-01-17

प्रतिलिपि :– **सचिव**, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **जिला कार्यक्रम समन्वयक(मनरेगा)–सह–जिलाधिकारी**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **उप विकास आयुक्त**, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– **कार्यक्रम पदाधिकारी**, रामगढ़वा / पंचायत रोजगार सेवक, चम्पापुर / परिवादीगण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

31/1/17

लोकपाल(मनरेगा)
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

31.1.17

O/C